

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.104/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवंबर 2020
12 कार्तिक, 1942 (शक)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्यां 99 /2020 -सीमा शुल्क(गै.टै.) दिनांक 15 अक्टूबर में, दिनांक 4 नवंबर 2020 से निम्नलिखित संसोधन करता है, अर्थात् :- उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची-1

क्रम संख्या	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपया के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
		(क)	(ख)
(1)	(2)	(3)	
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यातित माल के लिए)
18.	तुर्की लीरा	9.10	8.55

(फा.सं. 468/01/2020 सीमा शुल्क-V)

(बुलो मामु)
अवर सचिव, भारत सरकार